हम्माद अहमद

वी.

अब्दुल मजीद और हमारा।

(सिविल अपील सं। 3382-3383 2019 का)

अप्रैल 03,2019

[उदय उमेश ललित और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

उत्तराधिकार-मुख्य मुतवल्ली के कार्यालय के लिए-ज्येष्ठाधिकार का नियम जब लागू नहीं होता है-एक 'एचएएम' ने शुरू किया

हमदरद दावा एकमात्र मालिक के रूप में-अपने पीछे छोड़ते हुए मर गया

पत्नी और दो बेटे, 'ए. एच.' और 'एम. एस.'-ये तीन 1948 में हमदर्द के मामलों का प्रबंधन करने के लिए किए गए विलेख-'ए. एच.' 1948 के विलेख के संदर्भ में एकमात्र जीवित वाकीफ मुतवल्ली बन गए-1964 में, वाकीफ मुतवल्ली ने अपने दो बेटों 'ए. एम.' और 'एच. ए.' को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया-वाकीफ मुतवल्ली ने समय-समय पर हमदर्द के काम करने के लिए विभिन्न घोषणाएं जारी कीं-ऐसी घोषणाओं के आधार पर, 1973 में 1948 के विलेख में संशोधन करते हुए एक व्यापक घोषणा जारी की गई-वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु हो गई-'ए. एम.' मुख्य मुतवल्ली बन गया-'ए. एम.' की मृत्यु हो गई-पक्षों के बीच विवाद कि किसे इसका निर्वहन करना चाहिए। 1 अब 1948 के विलेख प्रत्यर्थी संख्या 2 के तहत मुतवल्ली नहीं है और अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी और उसके बेटे को मुतवल्ली-प्रत्यर्थी संख्या के रूप में हटाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। 1 & 2 'एएम' के पुत्र हैं, अपीलार्थी के बड़े भाई हैं-प्रत्यर्थी संख्या 2 का आवेदन यू/Or.XXXIX, आर. 1 और 2 को खारिज कर दिया गया था जबकि

ज्येष्ठाधिकार के नियम को लागू करते हुए इस आदेश को दरकिनार कर दिया गया कि प्रमुख मुतवल्ली की मृत्यु के बाद, उनकी पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष और एक मुतवल्ली भी अपने पद का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है-आयोजितः व्यक्तिगत कानून के अनुसार मुसलमानों पर ज्येष्ठाधिकार का नियम लागू नहीं होता है-प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए वर्ष 1973 में संशोधित 1948 के पूरे विलेख को एक साथ पढ़ना होगा। मुतवल्ली-1973 के विलेख के कम से कम दो प्रावधान हैं कि वाकीफ के उत्तराधिकार के क्रम में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज

402 हम्माद अहमद बनाम। अब्दुल मजीद और हमारा।

मुतवल्ली प्रमुख मुतवल्ली होंगे-सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज 'ए. एम.' और उनके छोटे बेटे को नामित करने में वाकीफ मुतवल्ली की कार्रवाई-1948 के विलेख के संदर्भ में मुतवल्ली के रूप में अपीलकर्ता से पता चलता है कि उनके दोनों उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया गया था-क्योंकि, न्यासी मंडल को वाकीफ मुतवल्ली या मुख्य मुतवल्ली सहित पांच मुतवल्ली होने का विचार किया गया था, इसलिए, पोते (प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 और अपीलार्थी के पुत्र) भी जन्म तिथि के क्रम में नहीं थे, बल्कि वाकीफ मुतवल्ली ('ए. एम.' और 'एच. ए.') के दोनों पुत्रों के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए थे-इसलिए, 1948 का संशोधित विलेख ज्येष्ठाधिकार के नियम की प्रयोज्यता नहीं दर्शाता है, बल्कि इसके लिए समान प्रतिनिधित्व दर्शाता है -

वाकीफ मुतवल्ली के दोनों बेटों के उत्तराधिकारी-खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया गया-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXXIX, rr. 1 & 2 - वक्फ अधिनियम, 1995-दस्तावेज़ की व्याख्या का सिद्धांत।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXXIX, rr. 1 & 2 –विज्ञापन-अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा-अनुदान-आयोजितः विज्ञापन अंतरिम अनिवार्य

निषेधाज्ञा माँगने पर नहीं बल्कि मजबूत परिस्थितियों में दी जानी चाहिए ताकि पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके ताकि अनिवार्य निषेधाज्ञा के संबंध में उनके अधिकारों को विफल न किया जा सके।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 डिवीजन बेंच का आदेश नहीं हो सकता है

कायम रहा। हमदर्द की प्रकृति तय की गई थी कि यह वक्फ नहीं है जैसा कि वक्फ अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है और इससे संबंधित चल और अचल संपत्ति को इसके शासी निकाय में निहित माना जाएगा। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में पक्षों की सहमति उन मुद्दों से संबंधित संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन पर पारित की गई है जिन्हें एक मुकदमे में अभिवचनों के पूरा होने के बाद तैयार किया जाना आवश्यक है। अंतरिम के खिलाफ अपील का निर्देश दिया गया था निषेधाज्ञा, इसलिए, सहमति आदेश के पैरा 3 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मुद्दा" मुकदमे में मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे प्रश्न हैं जो विज्ञापन-अंतरिम चरण में विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। पार्टियां

इस बात पर सहमति व्यक्त की कि काफी महत्व का प्रश्न एक अंतरिम आवेदन पर विचार के समय मुख्य मुतवल्ली की नियुक्ति से संबंधित है। दोनों अदालतों ने इस बात पर विचार करने के लिए दस्तावेजों की जांच की है कि क्या अपीलार्थी को मुख्य मुतवल्ली कहा जा सकता है। [पारस 37-39] [428-ए; 429-बी-डी] [2019] 6 एस. सी. आर.

1.2 ज्येष्ठाधिकार का नियम फखरुद्दीन के मामले में व्यक्तिगत कानून के अनुसार मुसलमानों पर लागू होने वाला नियम नहीं है। 1948 के विलेख में स्पष्ट किया गया है कि दो भाई 'एच. एच. ए. एच.' और 'एच. एम. एस.' न्यासी होंगे और न्यासी में से किसी एक की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक न्यासी की जगह उनके न्यासी को नियुक्त किया जाएगा।

बड़े बेटे और अन्य न्यासी की मृत्यु के मामले में उनकी जगह उनके बड़े बेटे को लिया जाएगा (खंड 3 जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है)। इसी तरह, विलेख का खंड 4 यह है कि न्यास के न्यासियों की नियुक्ति उनके बेटों में से की जाएगी जो उम्र में सबसे बड़े होंगे और उसके बाद उनके बेटों के बेटों में से बड़े बेटे को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। [पैरा 42] [430-बी-डी]

1.3 1973 का विलेख कोई नया दस्तावेज नहीं है, लेकिन इसमें 1948 के विलेख में संशोधन शामिल हैं जो समय-समय पर वाकीफ मुतवल्ली द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर 02.07.1973 पर संकलित किए जाते हैं। 02.07.1973 की घोषणा में, पहली पंक्ति में "मुतवल्ली" शब्द के बाद एक पूर्ण विराम होता है और उसके बाद, नई पंक्ति शुरू होती है। लेकिन 1973 के विलेख (अनुलग्नक पी-1) में पूर्ण विराम गायब है। यह एक अनजाने में चूक प्रतीत होती है क्योंकि संशोधित विलेख

या दूसरा। इसलिए, मुख्य मुतवल्ली की नियुक्ति की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए वर्ष 1973 में संशोधित पूरे 1948 विलेख को एक साथ पढ़ना होगा। [पैरा 45,46] [431-बी; 432-डी] 1.5 यह तर्क कि ज्येष्ठाधिकार का नियम 1948 के वक्फ विलेख के संशोधित खंडों में स्पष्ट है, सबसे बड़े बेटे के रूप में और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को वरीयता दी गई है

अन्य पुरुष वंशजों की तुलना में व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। 1973 के विलेख का खंड 1 यह है कि पुरुषों में सबसे वरिष्ठ

मुतवल्ली का पद धारण करने वाले वाकीफ-मुतवल्ली के वंशज मुख्य मुतवल्ली होंगे। उसी विलेख का खंड 3 यह है कि प्रथम प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति वाकीफ मुतवल्ली द्वारा की जाएगी, उसके बाद उत्तराधिकार के क्रम में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज (वाकीफ मुतवल्ली के) और फिर मुतवल्ली का पद धारण करने वाले प्रमुख मुतवल्ली होंगे। इस प्रकार, 1973 के हम्माद अहमद बनाम के कम से कम दो प्रावधान।

अब्दुल मजीद और हमारा।

विलेख यह है कि वाकीफ मुतवल्ली के उत्तराधिकार की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज प्रमुख मुतवल्ली होंगे।

[पारस 47,48] [432-ई-जी]

अपीलकर्ता कि सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को मुख्य मुतवल्ली और नजीर (सचिव) के रूप में दूसरे स्थान पर होना चाहिए। आई. डी. 1 पर बोर्ड के गठन में कोई संदेह नहीं है कि दूसरे सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को नजीर (सचिव) के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन अकेले इस तरह के तथ्य दस्तावेज़ के विभिन्न प्रावधानों को नकार नहीं देंगे जो अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करते हैं कि यह सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज है जो मुख्य मुतवल्ली होगा। 1948 के विलेख के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज 'ए. एम.' और उनके छोटे बेटे-अपीलार्थी को मुतावल्लियों के रूप में नामित करने में वाकीफ मुतावल्ली की कार्रवाई से पता चलता है कि उनके दोनों उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया गया। [पैरा 49,50] [432-एच; 433-ए-सी]

1.7 1973 विलेख कोई नया दस्तावेज नहीं है, बल्कि समय-समय पर वाकीफ मुतवल्ली द्वारा 1948 में संशोधित विलेख है। चूंकि, न्यासी मंडल को पांच मुतवल्ली माना गया था, जिनमें शामिल थे -

इसलिए, 1948 के संशोधित विलेख में ज्येष्ठाधिकार के शासन के मूलधन की प्रयोज्यता नहीं है, बल्कि वाकीफ मुतवल्ली के दोनों पुत्रों के उत्तराधिकारियों के लिए समान प्रतिनिधित्व है। यह तर्क कि प्रबंधन के मौजूदा तंत्र पर विवाद करने के लिए अपीलार्थी की ओर से देरी और अड़चनें हैं, फिर से है बर्दाश्त करने योग्य नहीं। पूरा तर्क 04.07.1995 पर बोर्ड के गठन पर आधारित है। केवल विवाद करने में विफलता

बोर्ड के गठन का मतलब यह नहीं होगा कि 1948 का विलेख या 1973 का विलेख अप्रासंगिक है। वाकीफ मुतवल्ली द्वारा बोर्ड का गठन आवश्यकताओं के संबंध में था

वर्ष 1973 में 1948 विलेख में संशोधन। [पैरा 51,54] [433-ई-जी; 434-डी-ई] 1.8 1973 नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की अयोग्यता के लिए विलेख का प्रावधान किया गया। कोई भी अपराधी [2019] 6 एस. सी. आर.

अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किया गया अभियोजन दोषसिद्धि में समाप्त हो गया है, इसलिए, इस स्तर पर अपीलार्थी के साथ कोई अयोग्यता संलग्न नहीं है। [पारस 55] [435-एफ]

1.9 विज्ञापन अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा, पूछने पर नहीं बल्कि मजबूत परिस्थितियों में दी जानी है ताकि सुरक्षा प्रदान की जा सके।

पक्षकारों के अधिकार और हित ताकि अनिवार्य निषेधाज्ञा के संबंध में उनके अधिकारों को विफल न किया जा सके। यह तर्क कि संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत, न्यायालय के पास मुकदमा दायर करने की तारीख या आदेश पारित होने की तारीख को पक्षों की स्थिति बनाए रखने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन पक्षकारों को कुछ ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकता है जो मुकदमा दायर करने के समय अस्तित्व में नहीं था, सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक सामान्य नियम नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए आदेशों की प्रकृति सामान्य रूप से नियमित तरीके से पारित नहीं की जाती है क्योंकि वादी के पास एक ऐसा मामला होना आवश्यक है जो केवल प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में उच्च मानक का होना चाहिए। लेकिन पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा मुकदमे के पहले दौर में दर्ज किया गया था, प्राथमिक प्रश्न यह था कि मुख्य मुतवल्ली के रूप में किसे कार्य करना है। एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने केवल इस तरह के प्रश्न की जांच की है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी पक्षों ने मुख्य रूप से इस सवाल पर बहस की है कि प्रमुख मुतवल्ली कौन होगा। इसलिए, प्रथम दृष्टया एक राय, हमदर्द के मामलों के प्रबंधन के संबंध में परिणामी आदेश की ओर ले जाएगी। [पारस 57,58] [434-एच; 435-ए; जी-एच; 436-ए-सी]

1.10 डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

और एकल पीठ को बहाल किया जाता है। पार्टियां करेंगी

अधिकतम तीन की अवधि प्रदान करके शीघ्रता से मुकदमा पक्षकारों के दो समूहों में से प्रत्येक को अपने-अपने साक्ष्य को समाप्त करने के लिए महीनों का समय दिया जाता है ताकि पक्षकारों के बीच विवादों के पहले चरण को अंत में समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक निर्णय लिया जा सके। [पारस 59-61] [436-C-F] हम्माद अहमद v.

अब्दुल मजीद और हमारा।

फखरुद्दीन बनाम। ताजुद्दीन (2008) 8 एससीसी 12: [2008] 9 एस. सी. आर. 377; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। दुर्गा

चांद कौशिस (1973) 2 एस. सी. सी. 825: [1974] 1 एस. सी. आर. 535; देवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 697: [2004] 3 एस. सी. आर. 920-पर निर्भर।

ए. अरुपुथम बनाम। ए. वी. यागप्पा (1971) 3 एस. सी. सी. 808-लागू नहीं किया गया। दोराब कवासजी वार्डन बनाम। कूमी सोराब वार्डन और अन्य (1990) 2 एस. सी. सी. 117: [1990] 1 एस. सी. आर. 332; डॉलर कंपनी, मद्रास बनाम। मद्रास कलेक्टर (1975) 2 एस. सी. सी. 730: [1975] पूरक। एस. सी. आर. 403; वांडर लिमिटेड और अन्य बनाम। एंटोक्स इंडिया पी. लिमिटेड (1990) पूरक। एस. सी. सी. 727; मो. मेहताब खान और अन्य बनाम। खुशनुमा इब्राहिम खान और अन्य (2013) 9 एस. सी. सी. 221: [2013] 3 एससीआर 359; समीर नारायण भोजवानी बनाम। अरोड़ा प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर 2018 (10) स्केल 33; काउंसिल बनाम भारत के लिए राज्य सचिव। सैयद अहमद

बादशा साहिब बहादुर (1921) एलडब्ल्यू Mad.188 (डीबी); परिषद में भारत के राज्य सचिव बनाम सैयद अहमद बादशा साहिब बहादुर (1921) 14 एल. डब्ल्यू. 128 (एफ. बी.)

संदर्भित किया गया।

-

मामला कानून संदर्भ

[2008] 9 एससीआर 377

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[1990] 1 एससीआर 332

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1975] पूरक। एससीआर 403

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

(1990) पूरक। एस. सी. सी. 727

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2013] 3 एससीआर 359

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

2018 (10) स्केल 33 (1971) 3 एस. सी. सी. 808

पैरा 40

अप्रयोज्य रखा गया

[1974] 1 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

(1921) एलडब्ल्यू Mad.188 (डीबी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

(1921) 14 एल. डब्ल्यू. 128 (एफ. बी.)

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

[2004] 3 एससीआर 920

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील

नं. 3382-3383 2019 का

एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27.11.2018 के निर्णय और आदेश से। 278 और 2017 का 280।

कैलाश वासदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रेयांस सिंघवी, सुश्री एकता मेहता, उमराव सिंह रावत, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, सुधीर नंदराजोग, वरिष्ठ अधिवक्ता। , साकेत सीकरी, सिमरान मेहता, सुश्री एकता सीकरी, अनिरुद्ध बाखरू, विकल्प मुद्गल, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सतिंदर सिंह बावा, सुदर्शन मेनन, राजेश राठौड़, दीपक गोयल, बॉबी लाओ, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी,

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलों में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 27.11.2018 पर पारित एक आदेश के लिए है जिसके तहत

3. इस स्तर पर पक्षकारों के बीच विवाद यह है कि किसको हमरद लैबोरेटरीज (इंडिया) के मुख्य मुतवल्ली के कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए 2 19.03.2015 पर पूर्व निर्विवाद प्रमुख मुतवल्ली-अब्दुल मुईद की मृत्यु के बाद, जिसे पहले हमरद दवाखाना के नाम से जाना जाता था।

4. अपीलार्थी ने 2017 का सिविल सूट नंबर 211 08.05.2017 पर दायर किया, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 ने 29.03.2017 पर 2017 का सिविल सूट नंबर 162 दायर किया। अपीलार्थी का मुकदमा घोषणा, निषेधात्मक निषेधाज्ञा और अन्य राहतों के लिए है। अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि आई. डी. 1 पर प्रमुख मुतवल्ली अब्दुल मुइद की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी ने आई. डी. 2 पर मुख्य मुतवल्ली का पद संभाला, जब उनके द्वारा इस आशय का एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था। उत्तरदाता सं। 1 और 2 अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी हैं। ऐसे उत्तरदाता पूर्व प्रमुख के पुत्र हैं।

1 कोड 2 हमरद हम्मद अहमद बनाम।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

मुतवल्ली स्वर्गीय श्री अब्दुल मुईद, अपीलार्थी के बड़े भाई। प्रतिवादी नंबर 1-अब्दुल मजीद ने भी 23.03.2015 पर एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें खुद को प्रमुख मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 23.03.2015 पर इस तरह की घोषणा के आधार पर बैंकों सहित विभिन्न प्राधिकरणों को पत्र जारी किए। यह इस पृष्ठभूमि में है; अपीलार्थी

उसने यह घोषणा करने की मांग की है कि प्रतिवादी संख्या 1 अब उक्त विलेख के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के कारण समय-समय पर संशोधित वक्फ डीड 3 दिनांक 1 के तहत मुतवल्ली नहीं है और प्रतिवादी संख्या 1 को हमदर्द के मुतवल्ली के रूप में बने रहने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की प्रकृति में एक डिक्री जारी करने की मांग की है। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि सभी निर्णय, उत्तरदाता द्वारा जारी आदेश संख्या। 1 और 2 संयुक्त रूप से या अलग-अलग 20.03.2015 के बाद शून्य और शून्य हैं और कोई प्रभाव नहीं है।

5. अपीलार्थी ने आदेश XXXIX नियम 1 के तहत एक आवेदन दायर किया

और 2 को निम्नलिखित अंतरिम निर्देशों का दावा करने वाले मुकदमे के साथ संहिता की धारा 151 के साथ पढ़ा जाता है:

" क) सितंबर, 2016 से अब तक एच. एल. आई. के सभी मुतावल्लियों (प्रतिवादी संख्या 4 सहित) का वेतन और अन्य देय राशि जारी करना।

तिथि.

ख) पैरा सं. में बताए अनुसार सभी बैंकों को निर्देशित करें। 2 आवेदन में,

वादी को एच. एल. आई. द्वारा बनाए गए खातों को संचालित करने की अनुमति देना

प्रमुख मुतवल्ली के रूप में अपनी क्षमता में एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता।

प्रतिवादियों को निर्देश देने वाला आदेश सं। 1 और 2 सौंपने के लिए

(ग)

डोमेन नाम का पासवर्ड। हमदार्ड। कॉम, डब्ल्यू. डब्ल्यू. हमदार्ड। में और डब्ल्यू. डब्ल्यू. हमदर्दइंडिया। कॉम और उसका ई-मेल

वादी को सर्वर पासवर्ड।

घ) प्रत्यक्ष प्रतिवादी सं। 1 और 2 ई. आर. पी. (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) एडमिन कंट्रोल पासवर्ड का खुलासा और हस्तांतरण करना।
ई) किसी भी अन्य या आगे की राहत (ओं) को पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

मामला "।

उसके द्वारा दायर मुकदमे (दीवानी मुकदमा सं. 162/2017) में। प्रतिवादी संख्या 4 में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त मुकदमा अब्दुल मजीद, प्रतिवादी संख्या 1 है, जो अंतिम निर्विवाद प्रमुख मुतवल्ली अब्दुल मुईद का बड़ा बेटा है, जिसकी मृत्यु 19.03.2015 पर हुई थी। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 को हटाने की मांग अन्य बातों के साथ-साथ हमदर्द के मामलों में गड़बड़ी और कदाचार के आधार पर की गई थी।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतर्वर्ती आवेदनों का फैसला किया

पक्षकारों द्वारा 25.10.2017 पर अपने-अपने मुकदमों में दायर किया गया, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर मुकदमे में 2017 की आई. ए. संख्या 4331 को खारिज कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा दायर 2017 की आई. ए. संख्या 5860 को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार देखने की अनुमति दी गई थीः -

" 28. अंतरिम आवेदनों के निपटारे के समय, केवल प्रथम

मामले को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। न्यास विलेख के विभिन्न खंडों को देखने पर, इस स्तर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराधिकार की पंक्ति में वरिष्ठतम पुरुष वंशज (वाकीफ मुतवल्ली का) प्रथम दृष्टया प्रमुख के रूप में नियुक्त होने का हकदार है मुतवल्ली। यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान में दूसरा प्रतिवादी

उत्तराधिकार की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज है

वाकीफ मुतवल्ली। प्रतिवादियों द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि दूसरा प्रतिवादी अपने जीवनकाल में प्रमुख मुतवल्ली बना रहेगा।

समय और उसके बाद, यह न्यास विलेख के खंडों के संदर्भ में वादी को हस्तांतरित कर सकता है। खंड 3 बहुत विशिष्ट और स्पष्ट है।

इस संबंध में। यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि पुरुष वंशज में

उत्तराधिकार की रेखा प्रमुख मुतवल्ली की होगी

यह निष्कर्ष कि मुख्य मुतवल्ली का पद हमेशा बना रहेगा वादी के परिवार में आने वाले सभी समय के लिए दूसरे प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों के बहिष्कार के लिए।

29. मुझे इन तर्कों में कोई सार नहीं मिलता है कि मुख्य मुतवल्ली के पद का उत्तराधिकार वंशावली के नियम द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। ज्येष्ठाधिकार '।

XXX

XXX

XXX

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कूटशब्द को सौंपने के लिए निर्देशित किया जाता है डोमेन

डब्ल्यू. डब्ल्यू. हमदार्ड। कॉम, डब्ल्यू. डब्ल्यू. हमदार्ड। में

नाम

और डब्ल्यूडब्ल्यू। हमदर्दइंडिया। कॉम और इसका ई-मेल सर्वर पासवर्ड हैमड अहमद वी।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

वादी। वे ई. आर. पी. (उद्यम संसाधन योजना) प्रशासन नियंत्रण पासवर्ड का भी खुलासा करेंगे और उन्हें सौंपेंगे।

8. विद्वत एकल पीठ ने इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई कि अपीलार्थी ने 1973 के वक्फ डीड 1 के खंड 6 के संदर्भ में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के कारण अक्षमता का अनुभव किया है, जैसा कि 26.6.1973 पर संशोधित किया गया है। विद्वत एकल पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि केवल आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने से अपीलार्थी को मुख्य मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किए जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि विलेख के खंड 6 (2) के अनुसार अयोग्यता अयोग्यता के लिए केवल नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषसिद्धि है। संबंधित खंड निम्नानुसार हैः

" इस तथ्य के बावजूद कि किसी व्यक्ति को इसमें खंड चार के तहत मुतवल्ली के रूप में नियुक्त होने का अधिकार है, मजलिस-ए-अयान को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसे व्यक्ति को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने या ऐसे व्यक्ति के पहले ही मुतवल्ली के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में उसे पद से हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा, यदिः

1. वह एक नाबालिग या पागल है या शिक्षा, अनुभव या वृद्धावस्था की कमी के कारण और कमजोर स्वास्थ्य संतोषजनक रूप से अक्षम है।

मुतवल्ली के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें;
2. वह बेईमान है, शराब, जुए का आदी है या

नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया; "

9. वर्तमान प्रत्यर्थी सं. द्वारा दो प्रथम अपीलों को प्राथमिकता दी गई। 1 और 2. विद्वत खण्डपीठ ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि ज्येष्ठाधिकार का नियम मुसलमानों के बीच उत्तराधिकार के नियम के रूप में लागू नहीं होता है, लेकिन यदि वसीयतनामा या अन्य दस्तावेज में प्रदान किया गया है तो यह इसके आवेदन को रद्द करने का आधार नहीं है। डिवीजन बेंच ने 1973 के विलेख के पैरा 3 पर भरोसा किया कि प्रथम प्रमुख मुतवल्ली की मृत्यु के बाद, उनके वंश में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को प्रमुख मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया जाना है। पीठ ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किएः -

" 28. इस अदालत की राय है कि फखरुद्दीन (ऊपर) एक प्राधिकरण है कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार लागू नहीं होता है। हालाँकि, यह कहीं भी नहीं कहता है कि वंशानुगत पुरुष ज्येष्ठाधिकार है निषिद्ध -
या तो एक वसीयतनामा दस्तावेज़ में इसके आवेदन में, या

एक ट्रस्ट में। वास्तव में फखरुद्दीन (ऊपर) में, आध्यात्मिक प्रकृति

मण्डली द्वारा पद और धारक की स्वीकृति थी साबित; वे विवाद में नहीं थे। इन कारणों से,

ज्येष्ठाधिकार उत्तराधिकार के नियम के रूप में लागू नहीं होता है

मुसलमान, इसके आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं है यदि कोई विलेख दिया गया है (वसीयतनामा या अन्यथा) इसलिए निर्देशित करता है। इसी तरह, अरुपुथम में

(ऊपर), वास्तव में अदालत ने अपेक्षाकृत की प्रयोज्यता को बरकरार रखा वंशानुगत पुरुष ज्येष्ठाधिकार के माध्यम से उत्तराधिकार का सरल नियम, बल्कि

यह पता लगाने के लिए कि एक कॉलेजियल निकाय में से कौन हकदार था " एम्बुलेटरी "लाइनल प्राइमोजेनिचर सक्सेशन।

XXX

XXX

XXX

30. प्रावधान का पूरा अध्ययन (उत्तराधिकार से संबंधित)

प्रमुख मुतवल्ली, उनकी पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष-और वह जो है मुतवल्ली भी इस पद पर आने का हकदार है। आखिरी बात।

स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सबसे वरिष्ठ पुरुष हो सकता है सदस्य; फिर भी मुतवल्ली के रूप में मौजूदा सदस्यता यह सुनिश्चित करती है कि

वक्फ को प्रयोग और अनिश्चितताओं के जोखिम से बख्शा जाता है अपने शासन के लिए एक विदेशी द्वारा प्रशासन। अंतिम आंतरिक

संकेत, जिसने इस मामले में कुछ महत्व ग्रहण किया है, वह है एक प्रमुख मुतवल्ली (या किसी भी प्रमुख मुतवल्ली) के कार्यकाल के दौरान

वह मजलिस-ए-अयान के अध्यक्ष हैं।

मुख्य मुतवल्ली से वरिष्ठता में इसका नजीर/सचिव होगा।

इस शर्त को अन्य दो पूर्व शर्तों के साथ पढ़ा जाना है, क्योंकि यह उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के हिस्से के रूप में होता है।

नजीर या सचिव का पदनाम होना चाहिए

" प्रमुख मुतवल्ली से वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर। अन्य में शब्दों में, कार्यालय के उत्तराधिकारी को भी इस दौरान प्रकट किया जाता है

धारक, प्रमुख मुतवल्ली का जीवनकाल, नजीर के रूप में,

जो वरिष्ठता में प्रमुख मुतवल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है।

10. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले कुछ तथ्य हैं-हकीम हफीज

एल माजिद ने हमदर्द का व्यवसाय एकल मालिक के रूप में शुरू किया

1906. उनकी मृत्यु 22.06.1922 पर हुई और वे अपने पीछे अपनी पत्नी Mst को छोड़ गए। राबिया एम और दो बेटे, हाजी हकीम अब्दुल हमीद और हकीम मोहम्मद।

हमराड़ के मेले। विलेख अन्य बातों के साथ-साथ जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है यह निम्नानुसार हैः

हम्माद अहमद बनाम। अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

हम दोनों के साथ कई बार और यह अधिकार हम दोनों प्रबंधकों द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाएगा। कि हम अपने जीवनकाल के दौरान किसी और को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं या हम मुआवजे के साथ या मुआवजे के बिना न्यास के लाभ को साझा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं। और अपनी मृत्यु के बाद व्यवस्था करने के लिए हम न्यास विलेख की शर्तों के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और हम

दोनों न्यासियों को हमारे जीवनकाल के दौरान संयुक्त रूप से अधिकार होंगे और यदि केवल एक ही न्यासी जीवित है तो उसे अकेले यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि उपरोक्त शर्त और उपरोक्त न्यास विलेख में आय और विरासत के अधिकार के वितरण की व्यवस्था या तरीका उचित तरीके से या बढ़ाने के लिए।

या आदेश देते हैं। हम इस धारा के तहत लिखित समझौते के माध्यम से अपना काम करने के लिए जिन न्यासियों या न्यासियों को नियुक्त करेंगे, उनके बाद ही व्यक्तियों को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। न्यासी को हटाने का अधिकार जो हमारे द्वारा नामित और नियुक्त किया जाएगा, संयुक्त रूप से या अलग से हमारे पास होगा। 3. न्यासी में से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक न्यासी की जगह उसका सबसे बड़ा बेटा लेगा और दूसरे न्यासी की मृत्यु होने की स्थिति में उसका सबसे बड़ा बेटा उसकी जगह लेगा और अगर हम में से कोई न्यासी बेटा नाबालिग है या वह न्यासियों के कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो जब तक वह बेटा बड़ा नहीं हो जाता और न्यासियों के कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक सोल न्यासी अकेले न्यास के सभी कार्यों का प्रबंधन करेगा। हम दोनों न्यासियों के बाद जब भी न्यास के दो न्यासी होंगे, उनके अधिकार मजलिस-ए-अयान द्वारा प्रस्ताव द्वारा वितरित किए जाएंगे, लेकिन मजलिस [2019] 6 एस. सी. आर.

ई-अयान को किसी विशेष कारण या औचित्य के बिना दोनों न्यासियों के अधिकारों को तय करने या बढ़ाने या कम करने या अधिकारों को एक साथ या अलग-अलग वितरित करने का अधिकार नहीं होगा, जिसके कारण न्यासी या उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है।

पूर्ण स्वतंत्रता या उचित तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें।

4. हमारे बाद, और न्यासी या न्यासी, जिन्हें न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उनके बाद इस न्यास का न्यासी हमारे बेटों में से नियुक्त किया जाएगा, जो उम्र में सबसे बड़े होंगे और उसके बाद हमारे बेटों के बेटे में से सबसे बड़े बेटे को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और इस तरह न्यास के न्यासी की नियुक्ति हमारे बेटों से पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगी और अगर हमारे बच्चों में से कोई बेटा नहीं है जो इस न्यास का प्रबंधन और देखभाल करने में सक्षम है, तो हमारी बेटी के बेटों में से एक को नियुक्त किया जाएगा।

न्यासी के रूप में, और अगर हमारी बेटी के बेटे विश्वास का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारे बच्चों में से ऐसी कोई भी महिला होगी

न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया जिसके पास न्यासी की क्षमता हो। भगवान हमारे बच्चों में से किसी भी पुरुष या महिला को मना करता है जो होने में सक्षम है

न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है तो मजलिस-ए-अयान को प्रस्ताव के माध्यम से अधिकार होगा कि वे किसी भी गैर-परिवार के व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो प्रबंधन और वृद्धि करने में सक्षम है।

विश्वास कीजिए "।

11. एमएस. राबिया बेगम की मृत्यु 5.10.1948 पर हुई, जबकि दूसरे ट्रस्टी हकीम मोहम्मद की मृत्यु हो गई। सईद वर्ष 1948 में पाकिस्तान चले गए।

उनके हित को 06.08.1948 पर निकासी संपत्ति घोषित किया गया था। इसके बाद, उनका हिस्सा हम्दर्द द्वारा वक्फ कौमी के उद्देश्य से खरीदा गया था, जो कि 22.06.1950 पर दान के लिए है। इस प्रकार, 1948 के विलेख के संदर्भ में हाजी हकीम अब्दुल हमीद एकमात्र जीवित वाकीफ मुतवल्ली बन गए।

12. उपरोक्त वाकीफ मुतवल्ली को वर्ष 1964 में नियुक्त किया गया था।

उनके दो बेटे अब्दुल मुएद (1935 में पैदा हुए) और हम्माद अहमद (1945 में पैदा हुए) मुतावल्लिस के रूप में हैं। वाकीफ मुतवल्ली ने समय-समय पर हमदर्द के कामकाज के संबंध में विभिन्न घोषणाएं जारी की हैं। ऐसी सभी घोषणाओं के आधार पर, 1948 के विलेख में काफी संशोधन करते हुए एक व्यापक घोषणा जारी की गई थी। संशोधित विलेख पर वाकीफ मुतवल्ली द्वारा 26.6.1973 पर जवाबी हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि घोषणा और प्रति-हस्ताक्षर अलग-अलग तिथियों के हैं, लेकिन दोनों दस्तावेज समकालीन हैं और लगभग समान पाठ हैं।

हम्माद अहमद बनाम। अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

13. अपीलार्थी घोषणाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है -

1948 के विलेख में 02.07.1973 जारी रखा गया कि किसे करना चाहिए

वाकीफ मुतवल्ली के बाद वक्फ के मामलों को देखें। प्रासंगिक

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा जारी घोषणा से सी. टी. एस. के रूप में पढ़ा गया:

" 2. मुझमें निहित अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए

वक्फ-विलेख मैंने कुशलता के लिए कुछ घोषणाएं की थीं और

वक्फ का बेहतर प्रबंधन और स्पष्टीकरण और

व्याख्या और संदेह और कठिनाइयों को दूर करना और उक्त

घोषणाओं को विभिन्न परिशिष्टों के रूप में गिना गया है

वक्फ-विलेख और अब वे विलय कर दिए गए हैं और इसमें शामिल किए गए हैं

संबंधित प्रावधानों और उपयुक्त संदर्भों का पाठ

दान के लाभ और दान की उन्नति के लिए वक्फ वक्फ के मूल प्रावधानों का उद्देश्य और अनुपालन।

की गतिविधियों में व्यापक विस्तार को देखते हुए

3 .

दान जिसके लिए वाकीफ ने समर्पित किया, की जटिल समस्याएं आधुनिक प्रबंधन और अधिक कुशल प्रशासन, नियंत्रण के लिए

बदलते कर और अन्य कानूनों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, व्याख्या के लिए एक और घोषणा करें,

परिवर्तन, संदेह और कठिनाइयों को दूर करना, यदि कोई हो, और आगे के लिए

प्रावधानों का प्रदर्शन और आवश्यकताओं को पूरा करना कानून बदलना और दान के उद्देश्यों की रक्षा करना और

वक्फ का व्यवसाय जो दान और उन्नति के लिए है

धर्मार्थ वस्तुएँ। तदनुसार, मैं, एकमात्र वाकीफ के रूप में अपनी क्षमता में मुतवल्ली, इसके बारे में गंभीर पुष्टि पर घोषणा करें

ऊपर उल्लिखित मामले, 01.01.1973 से प्रभावीः "

XXX

XXX

XXX

" खंड संख्या 1: इस खंड को निम्नलिखित पाठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है;

" वक्फ के प्रबंधन के लिए कम से कम एक होगा और

वाकीफ सहित अधिकतम पाँच मुतवल्ली-मुतवल्ली और

प्रमुख मुतवल्ली "। " वाकीफ के पुरुष वंशजों में सबसे वरिष्ठ

मुतवल्ली जो मुतवल्ली का पद संभालेंगे, वे (2019) 6 एस. सी. आर. होंगे।

" मुतवल्ली का उपरोक्त पारिश्रमिक खंडानी आय के उस हिस्से के अतिरिक्त होगा जो उसे इसके तहत देय हो सकता है। वक्फ-विलेख, सिवाय वाकीफ-मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद के मामले को छोड़कर। वाकीफ-मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद के जीवनकाल के दौरान कोई खंडानी आय नहीं होगी। उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए रुपये का भुगतान किया जाएगा। 72,000 / - एक वर्ष या 7/64 जो भी कम हो।

XXX

XXX

XXX

खंड 3: इस खंड को निम्नलिखित पाठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैः " प्रथम प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति वाकीफ-मुतवल्ली द्वारा की जाएगी। और उसके बाद की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज

(वाकीफ-मुतवल्ली का) उत्तराधिकार और फिर मुतवल्ली का पद धारण करने वाले प्रमुख मुतवल्ली होंगे। वक्फ-मुतवल्ली के बाद, वक्फ के कुशल संचालन के लिए मुतवल्ली के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का विभाजन प्रमुख मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा।

और मजलिस-ए-अयान को इस विभाजन को बाधित करने या प्रमुख मुतवल्ली या किसी मुतवल्ली के लिए वक्फ का संतोषजनक और उचित स्वतंत्रता के साथ प्रबंधन करने के अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई पैदा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

" यह प्रमुख मुतवल्ली इसका सदर (अध्यक्ष) होगा।

मजलिस-ए-अयान और प्रमुख मुतवल्ली से वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर रहने वाला वंशज इसका नजीर (सचिव) होगा।

XXX

XXX

XXX हम्माद अहमद v. अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

इस खंड को निम्नलिखित पाठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैः

खंड 42:

रु. 72,000 / - शुद्ध विभाज्य लाभ का एक वर्ष या 7/64 जो भी हो कम होता है। खंडानी आय उत्पन्न होगी और केवल देय होगी।

शरीयत कानून के अनुसार वाकीफ-मुतवल्ली की मृत्यु के बाद। ”

" 42 - ए. : श्री अब्दुल मुएद और श्री हम्माद अहमद, के पुत्र

वाकीफ-मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद, उनके रूप में नामित हैं।

इस विलेख की शर्तों के तहत उत्तराधिकारी। वे दो अन्य हैं

इस वक्फ के मुतवल्ली वाकीफ-मुतवल्ली द्वारा नियुक्त किए गए थे। वे. क्रमशः प्रमुख मुतवल्ली और मुतवल्ली के रूप में कार्य करेंगे। वे.

वक्फ को दी जाने वाली सेवाओं के लिए वेतन दिया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है

वाकीफ-मुतवल्ली। यह लाभ और हानि के लिए प्रभारित किया जाएगा

वक्फ का लेखा। अन्य मुतावल्लियों का वेतन होगा

वाकीफ-मुतवल्ली/प्रमुख मुतवल्ली द्वारा तय किया गया। का वेतन

बाद में प्रमुख मुतवल्ली को मजलीश-ए-अयान द्वारा तय किया जाएगा।

9999

14. 1948 के विलेख के बाद 26.06.1973 पर प्रतिहस्ताक्षरित

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा किए गए संशोधनों को जोड़ा गया है।

नेक्सुर पी. 1. इस तरह के संशोधित दस्तावेज़ से प्रासंगिक उद्धरण

एस के तहतः

" 1. वक्फ के प्रबंधन के लिए कम से कम एक होगा।

और वाकीफ मुतवल्ली सहित अधिकतम पाँच मुतवल्ली

वाकीफ के पुरुष वंशजों में सबसे वरिष्ठ मुतवल्ली जो मुतवल्ली का पद संभालेंगे

प्रमुख मुतवल्ली। वाकीफ मुतवल्ली के बाद बंद हो जाता है

मुतवल्ली, प्रत्येक प्रमुख मुतवल्ली को समान अधिकार होंगे और

वक्फ के प्रशासन के कर्तव्य और बनाने की शक्ति

वक्फ के लिए इस विलेख में दिए गए नियमों के अनुसार

मुतावल्ली और अन्य मुतावल्लियों के बीच अधिकार और कर्तव्यों का आवंटन करें।

वक्फ को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रमुख मुतवल्ली और मुतवल्ली वह ऐसा होगा जिस पर वाकीफ मुतवल्ली द्वारा निर्णय लिया जाए और

उसके मुतवल्ली होना बंद करने के बाद, मामले में प्रमुख मुतवल्ली द्वारा

मुतवल्ली का, और मुख्य मुतवल्ली के मामले में मजलिस-ए-अयान द्वारा।

इनमें से प्रत्येक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की प्रकृति और वक्फ की गतिविधियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन पारिश्रमिकों पर निर्णय लिया जाएगा। मुतवल्ली का उपरोक्त पारिश्रमिक खंडानी आय के उस हिस्से के अतिरिक्त होगा जो इस वक्फ-विलेख के तहत उसे देय हो सकता है, सिवाय वाकीफ मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद के मामले के। वाकीफ मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद के जीवनकाल के दौरान कोई खंडानी आय नहीं होगी। उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए रुपये का भुगतान किया जाएगा। 72,000 / - एक वर्ष या 7/64 जो भी कम हो।

XXX

XXXX

XXX

3. प्रथम प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति वाकीफ मुतवल्ली द्वारा की जाएगी, उसके बाद उत्तराधिकार की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज (वाकीफ मुतवल्ली के) और फिर मुतवल्ली का पद धारण करने वाले प्रमुख मुतवल्ली होंगे। वाकीफ-मुतवल्ली के बाद, वक्फ के कुशल संचालन के लिए मुतवल्ली के साथ अधिकारों और कर्तव्यों का विभाजन प्रमुख मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा और मजलिस-ए-अयान को इस विभाजन को बाधित करने या मुख्य मुतवल्ली या किसी मुतवल्ली के लिए वक्फ का संतोषजनक प्रबंधन करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में कठिनाई पैदा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

मुख्य मुतवल्ली मजलिस के सदर (अध्यक्ष) होंगे।

ई-अयान और मुख्य मुतवल्ली से वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर रहने वाला वंशज इसका नजीर (सचिव) होगा।

XXX

XXX

XXX

6. इस तथ्य के बावजूद कि किसी व्यक्ति को इसमें खंड चार के तहत मुतवल्ली के रूप में नियुक्त होने का अधिकार है, मजलिस-ए-अयान को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसे व्यक्ति को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने या ऐसे व्यक्ति के पहले ही मुतवल्ली के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में उसे पद से हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा, यदिः (1) वह एक नाबालिग या पागल है या शिक्षा, अनुभव या बुढ़ापे की कमी के कारण और कमजोर स्वास्थ्य के कारण मुतवल्ली के रूप में अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से पालन करने में असमर्थ है।

(2) वह बेईमान है, शराब, जुए का आदी है या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

XXX

XXX

XXX हम्माद अहमद v. अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

8. वाकीफ मुतवल्ली के मुतवल्ली बनना बंद करने की स्थिति में

यह वक्फ, वक्फ का सामान्य अधीक्षण निहित होगा,

हालांकि, मजलिस-ए-अयान दिन-प्रतिदिन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वक्फ का प्रशासन। अधिकार और शक्तियाँ जिनके पास हैं

मजलिस-ए-अयान द्वारा अभ्यास के लिए आरक्षित किया गया है उक्त मजलिस-ए-अयान द्वारा केवल वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु के बाद

या जब वह मुतवल्ली होना बंद कर देता है। इस मजलिस में एक होगा

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा नामित अधिकतम नौ सदस्य

कार्यालय में सभी मुतवल्ली शामिल हैं। भविष्य में रिक्तियां होंगी

वाकीफ-मुतवल्ली द्वारा उनके जीवनकाल में नामांकन द्वारा भी भरा जाएगा।

और उनकी मृत्यु के बाद मजलिस-ए-अयान के सदस्यों द्वारा

उसके उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों और सभी व्यक्तियों में से पुरुष या महिला

जो अपनी खंडानी आय में किसी हिस्से के हकदार हैं

स्वयं का अधिकार या नाबालिग लाभार्थियों के सही अभिभावक के रूप में। द.

वाकीफ मुतवल्ली के मुतवल्ली बनना बंद करने के बाद और सभी

अयान। उनके पास सदस्यों के सभी अधिकार और कर्तव्य होंगे। मजलिस-ए-अयान जिसमें मतदान का अधिकार भी शामिल है।

9. मजलिस-ए-अयान की एक साधारण बैठक,

इसके द्वारा बनाए गए नियम और उप-कानून वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित किए जाने चाहिए।

(जब भी) जो भी प्रस्ताव बहुमत से पारित किए जाते हैं

इसे 'सामान्य समाधान' कहा जाता है। के अध्यक्ष बैठक में निर्णायक मत होगा।

XXX

XXX

XXX

मुतवल्ली हकीम अब्दुल हमीद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस विलेख की शर्तों के तहत। वे दो अन्य मुतवल्ली हैं।

इस वक्फ को वाकीफ मुतवल्ली द्वारा नियुक्त किया गया था। वे इस तरह काम करेंगे

क्रमशः प्रमुख मुतवल्ली और मुतवल्ली। उन्हें भुगतान किया जाएगा। वक्फ द्वारा निर्धारित वक्फ को दी जाने वाली सेवाओं के लिए वेतन

मुतवल्ली/प्रमुख मुतवल्ली। बाद के प्रमुख का वेतन मुतवल्ली को मजलिस-ए-अयान द्वारा तय किया जाएगा।

15. वाकीफ मुतवल्ली ने अपने पोते अब्दुल मजीद को नियुक्त किया।

अब्दुल मुएद के प्रथम पुत्र का जन्म 23.12.1969) और हामेद अहमद [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम्माद अहमद के प्रथम पुत्र का जन्म 25.3.1977) मुतावल्लीस के रूप में हुआ था। 1995 चौथे और पांचवें मुतवल्ली के रूप में। हाजी हकीम अब्दुल हमीद, एफ मुतवल्ली की मृत्यु 22.07.1999 पर हुई जो कि संशोधनों के बाद है

वक्फ का।

16. 04.07.1995 पर वाकीफ मुतवल्ली ने बोर्ड का गठन किया

वालिस। अब्दुल मुईद को उपाध्यक्ष और अब्दुल मजीद को मुतावल्लियों के बोर्ड का सचिव घोषित किया गया। इस तरह का राशन इस प्रकार हैः

" हैमडार्ड

तिथि

04/07/1995

हमदर्द दवाखाने के मामलों पर परामर्श और चर्चा करना (वक्फ) पूर्व और अनौपचारिक दोनों रूप से। अब दो और मुतवल्ली,

वे अपने पद ग्रहण करते हैं। यह महसूस किया जाता है कि मुतवल्ली बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए

वाकीफ मुतवल्ली का जीवन, जिसे बाद में मजलिस में बदला जा सकता है

ई-अयान 'वाकीफ मुतवली के बाद अपने पद पर बने रहना बंद कर देता है।

सामान्य अधीक्षण के लिए वक्फ के मुतवल्ली होना बंद करना वक्फ का।

इस आदेश के साथ, मैं एतद्वारा मुतावल्लियों के बोर्ड का गठन करता हूं

हमरद दवाखाना (वक्फ) निम्नानुसार हैः

1. हकीम अब्दुल हमीद

: सभापति

(वाकीफ मुतवल्ली)

2. श्री अब्दुल मुएद

: उपाध्यक्ष

3. श्री हम्माद अहमद

: वरिष्ठ मुतवल्ली

4. श्री अब्दुल मजीद

:

मुतवल्ली हम्माद अहमद बनाम। अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

5. श्री हामिद अहमद-मुतवल्ली का पदभार ग्रहण करने तक एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग ले सकते हैं।

श्री अब्दुल मजीद मुतवल्ली बोर्ड के सचिव होंगे और वह एजेंडा जारी करेंगे और कार्यवृत्त रिकॉर्ड करेंगे।

वाकीफ मुतवल्ली की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

मुतावल्लियों का बोर्ड हमरद दवाखाना (वक्फ) के कार्यों की निगरानी, निगरानी और समीक्षा करेगा। बोर्ड ऑफ मुतावल्लीस
बजट, कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देंगे और मंजूरी देंगे।

और हमरद दवाखाना (वक्फ) से सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों की योजनाएं। यह बोर्ड आज से काम करना शुरू कर देगा।

एसडी /

(हकीम अब्दुल हमीद)

वाकीफ

मुतवल्ली "

17. वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु के बाद, अब्दुल मुएद ने प्रमुख मुतवल्ली के रूप में असद मुएद को नियुक्त किया, उनके छोटे बेटे का जन्म 1.9.1973 पर हुआ था।

17.04.2000 पर पाँचवाँ मुतवल्ली। ऐसा कहा जाता है कि असद मुईद, जो 2017 के दीवानी मुकदमा संख्या 162 में वादी हैं। अब्दुल मुइद की मृत्यु 19.3.2015 पर हुई, जिसके कारण

पक्षों के बीच विवाद।

18. हम्माद अहमद के बेटे साजिद अहमद (जन्म 5.6.1978 पर) को हम्माद अहमद द्वारा 14.4.2015 पर पांचवें मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया गया था।

पहले और अंतिम निर्विवाद प्रमुख मुतवल्ली अब्दुल मुईद की मृत्यु के बाद स्वयं प्रमुख मुतवल्ली बने।

19. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि विलेख द्वारा ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विचार नहीं किया गया है

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा वर्ष 1973 में संशोधन किया गया। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील 1948 के विलेख के विभिन्न खंडों का उल्लेख करते हैं, जो इस बात पर विचार करते हैं कि वाकीफ, उनके बेटों और पोते-पोतियों को आय के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वे केवल [2019] 6 एस. सी. आर. के लिए पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।

वक्फ को दी जाने वाली सेवाओं पर विचार करना। वाकीफ मुतवालिस

उनके उत्तराधिकारियों को स्वामित्व या शक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा

पूँजी में स्थिति, परिसंपत्तियाँ, कोष और परिसंपत्तियाँ

ए. के. एफ. या उसके मूल्य में कोई सराहना।

20. इससे पहले चार सूट थे जिनमें से एक सूट नं.

7 1972 का निर्णय उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा किया गया था

एल्ही 23.12.2011 पर। मुक़दमे में चुनौती एक अधिसूचना के लिए थी

टेड 12.12.1970 ने वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत हमदरद को वक्फ घोषित किया।

उन्होंने कहा कि अधिसूचना को अवैध और अमान्य बताया गया था। यह आयोजित किया गया था

यह मानते हुए कि वक्फ के अर्थ के भीतर हमदरद वक्फ नहीं है

सीटी। विद्वान एकल न्यायाधीश विज्ञापन के निर्णय से प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैं:

" 74. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि दवाखाना

शब्द के अर्थ के भीतर वक्फ एक वक्फ नहीं है, वक्फ अधिनियम, "वक्फ" शब्द के उपयोग के बावजूद (जो प्रतीत होता है

गुमराह करना)। यह तय किया गया कानून है कि किसी दस्तावेज़ का नामकरण

या विलेख इस बात का निर्णायक नहीं है कि वह क्या हासिल करना चाहता है; अदालत

इसके सभी हिस्सों पर विचार करना होगा, और इसके संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा वास्तविक प्रभाव।

XXX

XXX

XXX

77. इस मामले में, जैसा कि पहले आयोजित किया गया था, दवाखाना वक्फ एक नहीं है वक्फ, सभी प्रासंगिक परीक्षणों के आवेदन पर। इसलिए,

नर्सिंग होम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का प्रश्न

और चिकित्सा अनुसंधान, हमरद नेशनल फाउंडेशन, भारतीय

इस्लामी अध्ययन संस्थान केवल अपनी संपत्तियों के कारण वक्फ हैं दवाखान वक्फ की आय से खरीदे गए थे,

उठती नहीं है। उनमें से कुछ, वास्तव में स्वतंत्र न्यायिक संस्थाएं हैं,

समाज होना, सक्षम होना, और वास्तव में संपत्ति धारण करना। में समितियों की धारा 5 के आधार पर पंजीकृत समितियों का मामला

पंजीकरण अधिनियम, 1860 संपत्ति, चल और अचल,

यदि न्यासियों में निहित नहीं है, तो यह माना जाएगा कि

अपने शासी निकाय में निहित। यह पूरी तरह से एक के विपरीत है

वक्फ, जहाँ मुतवल्ली मात्र एक प्रबंधक है; संपत्ति है

सर्वशक्तिमान ईश्वर को निरंतर और अपरिवर्तनीय रूप से समर्पित।

इसके अलावा, उक्त निकायों और संस्थाओं में से प्रत्येक स्वायत्त है,

और दवाखाना वक्फ अनन्य दाता नहीं है; यह हम्माद अहमद बनाम में से एक है।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उन्हें बनाने वाले कार्यों या उपकरणों में कुछ भी नहीं है, या तो ज्ञापन या संघ के लेखों में, शाश्वत समर्पण का संकेत है, या दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान के पक्ष में है। दूसरे शब्दों में, जिन नियंत्रण उपकरणों या दस्तावेजों ने इन संस्थानों को बनाया है, वे अकेले हैं। उन आवश्यक तत्वों के बारे में चुप रहें जो एक वक्फ को दर्शाते हैं। इसलिए अदालत का मानना है कि उक्त संस्थान वक्फ नहीं हैं, भले ही उनमें से कुछ दवाखाना वक्फ के लाभार्थी हैं। मुद्दों का जवाब प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में दिया जाता है।

अपील में इस तरह के फैसले और डिक्री की पुष्टि की गई थी।

21. तर्क यह है कि विलेख के पूरे पठन विशेष रूप से खंड 1,3 और 42-ए से पता चलता है कि सबसे वरिष्ठ पुरुष जीवित है।

उत्तराधिकारी को मुख्य मुतवल्ली माना जाता है, जबकि चार अन्य पुरुष उत्तराधिकारियों/वंशजों को मुख्य मुतवल्ली माना जाता है।

मुतवालिस। विलेख में यह भी विचार किया गया है कि यदि उत्तराधिकार की सीधी रेखा में कोई पुरुष वंशज नहीं है जो उपयुक्त व्यक्ति है वक्फ के मुतवल्ली के रूप में कार्यभार संभालते हुए, महिला मुद्दे के पुरुष वंशज में से जो कोई भी उत्तराधिकार का सही दावेदार है, उसे मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि महिला मुद्दे का कोई पुरुष वंशज नहीं है, जो मुतवल्ली बनने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य है, तो वंश की किसी भी महिला मुद्दे को जो मुतवल्ली बनने के लिए उपयुक्त होगी, इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा। यह केवल उस घटना में होता है, जब कोई पुरुष या महिला नहीं बची होती है

पुरुष और महिला वंशजों में से, मजलिस-ए-अयान को एक असाधारण प्रस्ताव द्वारा, परिवार के बाहर से किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होगा जो मुतवल्ली के रूप में कार्य करने और वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने की क्षमता रखता हो।

22. 1973 के विलेख के खंड 1 के संदर्भ में, वाकीफ मुतवल्ली सहित न्यूनतम एक और अधिकतम पांच मुतवल्ली होंगे।

और प्रमुख मुतवल्ली। वाकीफ मुतवल्ली के पुरुष वंशजों में सबसे वरिष्ठ जो मुतवल्ली का पद संभालेंगे, वे प्रमुख मुतवल्ली होंगे। इस तरह के खंड के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि एक प्रमुख मुतवल्ली के लिए शर्त यह है कि व्यक्ति मुतवल्ली होना चाहिए

और वाकीफ मुतवल्ली [2019] 6 एस. सी. आर. के पुरुष वंशजों में सबसे वरिष्ठ।

मुतवल्ली प्रमुख होंगे। वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु के बाद, सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज, अब्दुल मुईद प्रमुख मुतवल्ली के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आए। इसलिए, उनकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता, जो वाकीफ मुतवल्ली के सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज हैं, को प्रमुख के रूप में कार्य करना है मुतवल्ली। प्रथम प्रमुख मुतवल्ली के बड़े बेटे अब्दुल मजीद मुख्य मुतवल्ली नहीं हो सकते हैं जैसा कि वसीयत की प्रकृति और वक्फ दस्तावेजों के संचयी पठन से पता चलता है।

23. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने वर्ष 1973 में संशोधित विलेख के खंड 3 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि प्रथम प्रमुख

मुतवल्ली की नियुक्ति वाकीफ मुतवल्ली द्वारा की जानी है। इसके बाद, उत्तराधिकार की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज और फिर मुतवल्ली का पद धारण करने वाले प्रमुख मुतवल्ली होंगे। यह आगे कहा गया है कि प्रमुख मुतवल्ली को मजलिस-ए-अयान का अध्यक्ष कहा जाएगा और वंशज, जो मुख्य मुतवल्ली के बाद वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर होगा, उसका नजीर (सचिव) होगा।

24. 1973 के विलेख के खंड 42-ए का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि अब्दुल मुईद को मुख्य मुतवल्ली और अपीलार्थी के रूप में नियुक्त किया गया था

वाकफ मुतवल्ली द्वारा मुतवल्ली के रूप में। इसलिए, पूरे दस्तावेज़ को पढ़ने से पता चलेगा कि विलेख का उद्देश्य सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को मुख्य मुतवल्ली के रूप में नियुक्त करना है। चूँकि अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज है, इसलिए उसने मुख्य मुतवल्ली के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने के लिए 20.03.2015 पर एक आदेश जारी किया है।

25. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वासदेव ने तर्क दिया कि असद मुएद ने मुकदमे में यह दलील नहीं दी है कि अब्दुल मजीद ज्येष्ठाधिकार के शासन को देखते हुए प्रमुख मुतवल्ली होने का हकदार है या अब्दुल मजीद मुख्य मुतवल्ली होने का हकदार है।

मजीद प्रमुख मुतवल्ली हैं, लेकिन यह केवल प्रतिकृति में ज्येष्ठाधिकार के नियम की प्रयोज्यता का अनुरोध उठाया गया था। यह फखरुद्दीन बनाम के फैसले के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। ताजुद्दीन 3 ने कहा कि ज्येष्ठाधिकार का नियम मुसलमानों में लागू नहीं होता है।

26. यह निर्भरता एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) 208/2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक पूर्व आदेश पर रखी गई है, जो 26.5.2017 की विद्वान एकल पीठ के एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें पक्षों के विद्वान वकील ने कहा कि मुख्य मुतवल्ली से संबंधित मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपरोक्त के कामकाज को प्रभावित करता है। संस्थान/संगठन। अपीलों का निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 30.8.2017 पर सूचीबद्ध किया गया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

5 (2008) 8 एस. सी. सी. 12 हामिद अहमद बनाम।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

" 3. पक्षों के विद्वान वकील का कहना है कि मुख्य मुतवल्ली से संबंधित मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपरोक्त संस्थानों/संगठनों के कामकाज को प्रभावित करता है। पक्षों के वकील का कहना है कि वे उक्त मुद्दे के शीघ्र निर्णय के लिए अनुरोध करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द निर्णय लें। हम यह भी दर्ज करते हैं कि मामला पहले से ही है

30 अगस्त, 2017 को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध।

27. यह तर्क दिया गया था कि निषेधाज्ञा देने के लिए अदालत के फैसले में कोई बाधा या बाधा नहीं है, यहां तक कि अंतरिम स्तर पर भी यदि

मुख्य मुतवल्ली के रूप में डोमेन नामों के नियंत्रण का अधिकार। दोराब कवासजी वार्डन बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले पर रिलायंस को रखा गया है। कूमी सोराब वार्डन और अन्य। यह भी तर्क दिया गया था कि एक निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ अपील, अपील न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है

जब हमले के तहत निर्णय सही नहीं है, लेकिन केवल तभी जब इसे गलत दिखाया जाता है, डॉलर कंपनी, मद्रास बनाम पर निर्भरता रखते हुए। मद्रास के कलेक्टर '। निर्भरता को एक निर्णय पर भी रखा जाता है जिसे इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है

वांडर लिमिटेड और एक अन्य वी। एंटॉक्स इंडिया पी. Ltd.8 कि अपीलीय न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा, यदि नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था। मोहम्मद में बताए गए फैसले पर भी भरोसा रखा गया था। मेहताब खान और अन्य बनाम। खुशनुमा इब्राहिम खान और अन्य

अपीलीय न्यायालय को इस मामले पर अपने विचार को केवल इस आधार पर प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था कि उसकी राय में मामले के तथ्य एक अलग निष्कर्ष की मांग करते हैं।

28. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि निर्णय ए. अरुपुथम बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। ए. वी. यागप्पा 1 0

यह मानने के लिए गलत तरीके से लागू किया गया कि वर्तमान मामले में रैखिक ज्येष्ठाधिकार का सिद्धांत लागू होता है। उक्त निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न होता है जिसमें पक्षकार उत्तराधिकार के हिंदू कानून द्वारा शासित होते हैं जिसमें वसीयतकर्ता

7 (1975) 2 एस. सी. सी. 730 8 (1990) पूरक। एस. सी. सी. 727

9 9 (2013) 9 एससीसी 221

10 (1971) 3 एससीसी 808 [2019] 6 एस. सी. आर.

इस शर्त के साथ कि सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज मुख्य मुतवल्ली होगा, इसलिए, वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु के बाद सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज अब्दुल मुईद को मुख्य मुतवल्ली के रूप में नामित किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद, विलेख के आधार पर, अपीलार्थी ने खुद को मुख्य मुतवल्ली घोषित किया है। 30. प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि 04.08.2007 पर पारित डिवीजन बेंच का आदेश मुख्य मुतवल्ली से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, वह मुद्दा जिसे एक मुकदमे में तैयार किया जाना है न कि एक अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से। चूंकि मुकदमे में मुद्दे तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए यह सवाल कि प्रमुख मुतवल्ली कौन होगा, संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन पर विचार करते समय तय किया जाने वाला मुद्दा नहीं है।

31. यह भी तर्क दिया जाता है कि संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन में, न्यायालय अंतरिम अनिवार्य नहीं देगा।

राहत के परिणामस्वरूप पूरी तरह से नई स्थिति का निर्माण हुआ जो अब तक कभी मौजूद नहीं थी। यह निर्भरता समीर नारायण भोजवानी बनाम पर रखी गई है। अरोड़ा प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर "। यह तर्क दिया जाता है कि मुख्य मुतवल्ली के रूप में अपीलार्थी की घोषणा, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित रूप से विवादित किया गया है, का मतलब यह नहीं है कि मुकदमा दायर करने के समय स्थिति का अस्तित्व है जिसे एक आवेदन में संरक्षित किया जा सकता है।

डोमेन नाम, सर्वर और उद्यम संसाधनों के पासवर्ड मांगे हैं 112018 (10) स्केल 33 हम्माद अहमद v.

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

योजना प्रणाली, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी का हमदर्द के प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए, इसे सौंपने का आदेश कूटशब्द आ एहि प्रकारेँ हमराड़क प्रबन्धनकेँ अनिवार्य रूपमे निषेधाज्ञा नहि देल जा सकैत अछि।

संगठन के रूप में वह पहले से ही संगठन के नियंत्रण में था और हमराड़ के विभागों के सभी प्रमुख उसे रिपोर्ट करते हैं। वह सभी कारखानों का अधिभोगकर्ता है और हम्दर्द को आवंटित सभी लाइसेंसों का धारक है। 33. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार किया जाना है तो संशोधित विलेख की भाषा अलग होनी चाहिए। हालांकि

1948 विलेख में उक्त वाकीफ मुतवल्ली की "उत्तराधिकार की रेखा" निर्धारित की गई है, लेकिन संशोधित विलेख में ऐसा कोई या इसी तरह का खंड नहीं है। 34. इस तरह के विलेख के अनुसरण में, अब्दुल मजीद को उनके जीवन काल के दौरान वाकीफ मुतवल्ली द्वारा 04.07.1995 पर नजीर घोषित किया गया था। इस तरह

घोषणा इस तर्क को नकार देगी कि अपीलार्थी 1973 के विलेख के खंड 3 के संदर्भ में नजीर के रूप में नियुक्त होने के लिए सक्षम उत्तराधिकार की पंक्ति में दूसरे स्थान पर नहीं था। पार्टियां 1995 से उस स्थिति को समझ रही हैं जब अब्दुल मजीद को नजीर घोषित किया गया था। अपीलार्थी ने 20 वर्षों से अधिक समय से ऐसी व्यवस्था पर विवाद नहीं किया है, इसलिए अपीलार्थी खुद को मुख्य मुतवल्ली होने का दावा नहीं कर सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अब्दुल मुईद की मृत्यु 19.03.2015 पर हुई थी, लेकिन मुकदमा केवल 16.05.2017 पर दायर किया गया है, जिसमें खुद को प्रमुख मुतवल्ली बताया गया है। इस तरह के दावे में देरी और अड़चनें भी होती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दलीलों को स्वीकार किया जाना है तो "उत्तराधिकार की पंक्ति में" शब्दों को निरर्थक और अर्थहीन बना दिया जाएगा।

36. इसके अलावा, खंड पीठ ने एक तटस्थ प्रशासनिक निरीक्षण तैयार करने के लिए मामले को विद्वान एकल पीठ को वापस भेज दिया है पक्षकारों के हितों को संतुलित करने के लिए हमरद के प्रबंधन के लिए तंत्र। इसलिए, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

1 2 (1921) LW Mad.188 (DB)

37. हम पाते हैं कि खंड पीठ के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। इससे पहले के मुकदमे में, चुनौती वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत हम्दर्द को वक्फ के रूप में दिनांकित करने की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ की वास्तविक प्रकृति के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 1948 के विलेख और वर्ष में किए गए संशोधनों की भी जांच की। यह आयोजित किया गया थाः

" 74. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि "वक्फ" शब्द (जो भ्रामक प्रतीत होता है) के उपयोग के बावजूद, वक्फ अधिनियम के तहत, दवाखाना वक्फ शब्द के अर्थ के भीतर एक वक्फ नहीं है। यह तय कानून है कि किसी दस्तावेज़ या विलेख का नामकरण इस बात का निर्णायक नहीं है कि वह क्या हासिल करना चाहता है; अदालत को इसके सभी हिस्सों पर विचार करना होगा, और इसके वास्तविक प्रभाव के संबंध में एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

***

***

77. इस मामले में, जैसा कि पहले आयोजित किया गया था, सभी प्रासंगिक परीक्षणों के आवेदन पर, दवाखाना वक्फ एक वक्फ नहीं है। इसलिए, नर्सिंग होम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, हमराड नेशनल फाउंडेशन, भारतीय चिकित्सा संस्थान का प्रश्न।

इस्लामिक अध्ययन संस्थान वक्फ होने के नाते सिर्फ इसलिए कि उनकी संपत्तियों को दवाखाना वक्फ की आय से खरीदा गया था, उत्पन्न नहीं होगा। उनमें से कुछ, वास्तव में स्वतंत्र न्यायिक संस्थाएं हैं, जो समाज हैं, सक्षम हैं, और वास्तव में संपत्ति रखते हैं। पंजीकृत समितियों के मामले में, समितियों की धारा 5 के आधार पर पंजीकरण अधिनियम, 1860 से संबंधित चल और अचल संपत्ति, यदि न्यासियों में निहित नहीं है, तो इसे इसके शासी निकाय में निहित माना जाएगा। यह पूरी तरह से एक वक्फ के विपरीत है, जहां मुतुवल्ली केवल एक प्रबंधक है; संपत्ति हमेशा के लिए होती है।

और सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपरिवर्तनीय रूप से समर्पित। इसके अलावा, उक्त निकायों और संस्थाओं में से प्रत्येक स्वायत्त है, और दवाखाना वक्फ अनन्य दाता नहीं है; यह अनुदान के स्रोतों में से एक है।

वे स्वयं अन्य संस्थानों से दान और अनुदान ले सकते हैं।

अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए। अंत में, उन्हें बनाने वाले कार्यों या उपकरणों में कुछ भी नहीं है, या तो ज्ञापन या संघ के लेखों में, जो शाश्वत समर्पण का संकेत देता है, या दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान के पक्ष में है। दूसरे शब्दों में, जिन नियंत्रण उपकरणों या दस्तावेजों ने इन संस्थानों का निर्माण किया है, वे अनिवार्य बातों के बारे में अकेले ही चुप हैं।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

तत्व जो वक्फ को दर्शाते हैं। इसलिए अदालत का मानना है कि उक्त संस्थान वक्फ नहीं हैं, भले ही उनमें से कुछ दवाखाना वक्फ के लाभार्थी हैं। मुद्दों का जवाब प्रतिवादियों के खिलाफ और वादी के पक्ष में दिया जाता है।

38. इस प्रकार, हम्दर्द की प्रकृति को तय किया गया कि यह वक्फा नहीं है, जिसे वक्फ अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है और यह कि संपत्ति, चल और गैर-कानूनी है।

39. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन पर पारित एक अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में पक्षों की सहमति उन मुद्दों से संबंधित है जिन्हें एक मुकदमे में अभिवचन के पूरा होने के बाद तैयार किया जाना आवश्यक है। अपील को अंतरिम निषेधाज्ञा के खिलाफ निर्देशित किया गया था, इसलिए, सहमति आदेश के पैरा 3 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मुद्दा" मुकदमे में मुद्दे नहीं हैं, बल्कि वे प्रश्न हैं जो विज्ञापन-अंतरिम चरण में विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि काफी महत्वपूर्ण सवाल अंतरिम आवेदन पर विचार के समय मुख्य मुतवल्ली की नियुक्ति से संबंधित है। दोनों अदालतों ने इस बात पर विचार करने के लिए दस्तावेजों की जांच की है कि क्या अपीलार्थी को मुख्य मुतवल्ली कहा जा सकता है। 40. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वक्फ विलेख की व्याख्या करके मुख्य मुतवल्ली है, जबकि खंड पीठ ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। वास्तव में, खंड पीठ ने ए. अरुपुथम मामले (उपरोक्त) पर भरोसा किया जो वसीयतकर्ता-एक हिंदू पुरुष की संपत्ति के निहित होने से संबंधित एक वसीयत के निर्माण के संबंध में था। उक्त निर्णय एक प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होता है जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार का मामला नहीं है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित मृतक लेकिन प्रबंधन के लिए वाकीफ मुतवल्ली द्वारा निष्पादित विलेख के तहत उत्तराधिकारी की नियुक्ति

हमराद। प्रश्न वक्फ के प्रबंधन के लिए वर्ष 1973 में संशोधित वक्फ विलेख के निर्माण से संबंधित है कि किसके पास हमदर्द के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होगा न कि मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार का। इसलिए, हम पाते हैं कि खंड पीठ ने ए. अरुपुथम मामले (उपरोक्त) पर गलत तरीके से भरोसा किया है।

41. विद्वान खंड पीठ ने फखरुद्दीन के मामले को संदर्भित किया

(उपर्युक्त) कि व्यक्तिगत कानून के तहत वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार का नियम मुसलमानों के बीच उत्तराधिकार के नियम के रूप में लागू नहीं होता है, यह [2019] 6 एस. सी. आर. का आधार नहीं है।

यदि कोई विलेख (वसीयतनामा या अन्यथा) ऐसा निर्देश देता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दें। इसके बाद, डिवीजन बेंच ने वक्फ के संशोधित विलेख और 04.07.1995 के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा कि वंशानुगत पुरुष ज्येष्ठाधिकार एक अनिश्चित कॉलेजियल एम्बुलेटरी वंशानुगत उत्तराधिकार के बजाय मुख्य मुतवल्ली के कार्यालय में लागू उत्तराधिकार का नियम है।

42. ज्येष्ठाधिकार का नियम मुसलमानों पर लागू होने वाला नियम नहीं है

फखरुद्दीन के मामले (ऊपर) में व्यक्तिगत कानून के अनुसार। इसलिए, प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति से संबंधित पक्षों के बीच प्राथमिक प्रश्न का निर्णय 1948 के विलेख के निर्माण और वाकीफ मुतवल्ली द्वारा वर्ष 1973 में किए गए संशोधनों के आधार पर किया जाना है। 1948 का विलेख स्पष्ट है कि दो भाई हाजी हकीम अब्दुल हमीद और हकीम मोहम्मद। सईद न्यासी होगा और न्यासी में से किसी एक की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक न्यासी का स्थान उसके बड़े बेटे को लिया जाएगा और अन्य न्यासी की मृत्यु होने की स्थिति में उसका स्थान उसके बड़े बेटे को दिया जाएगा (खंड 3 जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है)। इसी तरह, विलेख का खंड 4 यह है कि न्यास के न्यासियों की नियुक्ति उनके बेटों में से की जाएगी जो उम्र में सबसे बड़े होंगे और उसके बाद उनके बेटों के बेटों में से बड़े बेटे को न्यासी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

43. 1973 का विलेख कोई नया दस्तावेज नहीं है लेकिन इसमें शामिल हैं -

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा समय-समय पर 02.07.1973 पर संकलित की गई घोषणाओं के आधार पर 1948 के विलेख में संशोधन। अंतिम पृष्ठ

दस्तावेज़ के अनुलग्नक "पी-1" से पता चलेगा कि यह कोई नया दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि संशोधनों को शामिल करने वाला दस्तावेज़ है जिस पर वाकीफ मुतवल्ली ने 26.06.1973 पर हस्ताक्षर किए थे। घोषणा का खंड 3 और वर्ष 1973 में वक्फ और विलेख का संशोधित विलेख, जिसे पक्षों द्वारा संदर्भित किया गया था, नीचे पढ़ा गया हैः

वर्ष 1973 में संशोधित विलेख

घोषणा पत्र

3. प्रथम प्रमुख मुतवल्ली करेंगे

खंड 3: यह

खंड

है

वाकीफ मुतवल्ली द्वारा नियुक्त किया जाएगा

निम्नलिखित पाठ द्वारा प्रतिस्थापित किया गयाः

इसके बाद सबसे वरिष्ठ पुरुष

उत्तराधिकार की पंक्ति में वंशज (का

वाकीफ मुतवल्ली) और फिर एक पकड़

मुतवल्ली का कार्यालय प्रमुख होगा।

मुतवल्ली।

मुतवल्ली का कार्यालय प्रमुख होगा।

" प्रथम प्रमुख मुतवल्ली होंगे

वाकीफ-मुतवल्ली द्वारा नियुक्त।

इसके बाद सबसे वरिष्ठ पुरुष

उत्तराधिकार की पंक्ति में वंशज (का

वाकीफ-मुतवल्ली) और फिर एक पकड़

मुतवल्ली "। हम्माद अहमद बनाम। अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

44. हम पाते हैं कि दिनांकित 02.07.1973 घोषणा में, पहली पंक्ति में "मुतवल्ली" शब्द के बाद एक पूर्ण विराम होता है और उसके बाद, नई पंक्ति शुरू होती है। लेकिन 1973 के विलेख (अनुलग्नक पी-1) में पूर्ण विराम गायब है। यह एक अनजाने में चूक प्रतीत होती है क्योंकि विलेख में संशोधन किया गया है

वर्ष 1973 पूर्ण विराम के अभाव में सुसंगत नहीं है और अधूरा प्रतीत होता है।

45. दस्तावेज़ की व्याख्या का सर्वविदित सिद्धांत यह है कि एक पंक्ति को संदर्भ से बाहर नहीं लिया जा सकता है। यह एक संचयी पठन है

पूरा दस्तावेज़ जो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचता हो। के सिद्धांत के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कुछ निर्णय

दस्तावेजों की व्याख्या को इसके बाद चित्रित किया गया है। दस्तावेजों की व्याख्या से संबंधित निर्णयों में से एक दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम है। दुर्गा चंद कौशिस 1 3. यह माना गया कि

दस्तावेज़ या उसके किसी विशेष भाग का अर्थ दस्तावेज़ में ही खोजा जाना है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 19. दोनों पक्षों ने ओड्गर्स के कुछ मार्गों पर भरोसा किया है।

" कार्यों और कानूनों का निर्माण "(5 वां संस्करण। 1967)। वहाँ (पृष्ठों पर)

28-29) , व्याख्या का पहला सामान्य नियम तैयार किया गया हैः इसलिए दस्तावेज़ या उसके किसी विशेष भाग का अर्थ दस्तावेज़ में ही खोजा जाना चाहिए। यह, निस्संदेह, निर्माण का प्राथमिक नियम है जिसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 से 94

कुछ अपवादों के साथ वैधानिक मान्यता और प्रभाव देना।

अधिनियम की धारा 95 से 98 तक। बेशक, "दस्तावेज़" का अर्थ है "दस्तावेज़" जिसे पूरी तरह से पढ़ा जाता है और टुकड़ों में नहीं।

20. ऊपर बताया गया नियम तार्किक रूप से शाब्दिक नियम का अनुसरण करता है।

निर्माण का जो, जब तक कि इसके अनुप्रयोग से बेतुके परिणाम नहीं निकलते हैं, पहले उसका सहारा लिया जाना चाहिए। यह निम्नलिखित उद्धृत अंशों से स्पष्ट है।

व्याख्या के पहले नियम के तहत ओड्गर्स की लघु पुस्तक में ऊपर दिया गया हैः

लॉर्ड वेन्सलीडेल, मोनीपेनी बनाम में। मोनीपेनी 1 4 ने कहाः

" सवाल यह नहीं है कि पार्टियां क्या हैं

किसी कार्य को करने का इरादा हो सकता है

उस विलेख में प्रवेश करना, लेकिन क्या है

उस विलेख में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थः ए

सभी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर

निर्माण और जिसकी उपेक्षा

अक्सर गलत निष्कर्षों की ओर ले जाता है।

13 (1973) 2 एस. सी. सी. 825

14 (1861) 9 एचएलसी 114,146 [2019] 6 एस. सी. आर.

ब्रेट, एल. जे., रे मेरिडिथ में, पूर्व। पी। चिक 1 5 ने देखाः

" मैं निर्माण के उस नियम का पालन करने के लिए तैयार हूं जो लॉर्ड डेनमैन और बैरन पार्क द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि उपकरणों को समझने में आपको पक्षों के अनुमानित इरादे का नहीं, बल्कि उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ”

21. एक और नियम जो हमें यहाँ लागू होता प्रतीत होता है, वह था इस प्रकार इस न्यायालय ने राधा सुंदर दत्ता बनाम में कहा है। मोहम्मद.

जहादुर रहीम और अन्य 1 6 16:

" अब, यह व्याख्या का एक तय नियम है कि यदि किसी दस्तावेज़ के दो निर्माण स्वीकार्य हैं, जिनमें से एक उसमें सभी खंडों को प्रभावी बनाएगा जबकि दूसरा उनमें से एक या अधिक खंडों को निरर्थक बनाएगा, तो यह पहला है जो होना चाहिए

मैक्सिम 'उट रेस मैजिस' में व्यक्त सिद्धांत पर अपनाया गया

आप क्या चाहते हैं "।

46. इसलिए, प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए वर्ष 1973 में संशोधित पूरे 1948 विलेख को एक साथ पढ़ना होगा।

मुतवल्ली।

47. यह तर्क कि 1948 के वक्फ विलेख के संशोधित खंडों में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ज्येष्ठाधिकार का नियम स्पष्ट है और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अन्य पुरुष वंशजों की तुलना में वरीयता दी गई है, मान्य नहीं है। सवाल अचल संपत्ति के मामले में उत्तराधिकार का नहीं है, बल्कि वक्फ के प्रबंधन के लिए उत्तराधिकार की रेखा का है।

48. 1973 के विलेख का खंड 1 यह है कि इनमें से सबसे वरिष्ठ

मुतवल्ली का पद धारण करने वाले वाकीफ-मुतवल्ली के पुरुष वंशज मुख्य मुतवल्ली होंगे। उसी विलेख का खंड 3 यह है कि प्रथम प्रमुख मुतवल्ली की नियुक्ति वाकीफ मुतवल्ली द्वारा की जाएगी, उसके बाद उत्तराधिकार की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज (वाकीफ मुतवल्ली के) और फिर मुतवल्ली का पद धारण करने वाले प्रमुख मुतवल्ली होंगे। इस प्रकार, 1973 के विलेख के कम से कम दो प्रावधान हैं कि वाकीफ मुतवल्ली के उत्तराधिकार के क्रम में सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज प्रमुख मुतवल्ली होंगे।

49. यह तर्क कि मुतवल्ली बोर्ड का गठन 04.07.1995 पर अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क को नकारता है कि

सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को प्रमुख मुतवल्ली और दूसरा होना चाहिए। 15 (1973) 2 एस. सी. सी. 825

16 (1861) 9 एच. एल. सी. 114,146 हम्माद अहमद बनाम।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

नजीर (सचिव) के रूप में। आई. डी. 1 पर बोर्ड के गठन में कोई संदेह नहीं है कि दूसरे सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को नजीर (सचिव) के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा तथ्य अकेले दस्तावेज़ के विभिन्न प्रावधानों को नकार नहीं देगा जो अपीलार्थी द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करते हैं कि यह सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज है जो होगा

प्रमुख मुतवल्ली। हो सकता है कि अब्दुल मजीद को उनकी उम्र और शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के सचिव के रूप में नामित किया गया हो, लेकिन इस तरह की कार्रवाई 1973 के विलेख के संचयी पठन को नकार नहीं पाएगी। 50. सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज अब्दुल मुईद और उनके छोटे बेटे-अपीलार्थी को नामित करने में वाकीफ मुतवल्ली की कार्रवाई

उस दिन, अब्दुल मुएद के छोटे बेटे, लेकिन हमीद अहमद से उम्र में बड़े, असद मुएद (जन्म 1.09.1973) को मुतवल्ली नहीं बनाया गया था। यह केवल 17.04.2000 पर था यानी वाकीफ मुतवल्ली की मृत्यु के बाद, उन्हें पांचवां मुतवल्ली बनाया गया था। यदि प्रबंधन अब्दुल हमीद के सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज के हाथों में होना है, तो वाकीफ मुतवल्ली को वर्ष 1995 में हामेद अहमद के बजाय असद मुएद को नियुक्त करना चाहिए था। 51. 1973 विलेख कोई नया दस्तावेज नहीं है, बल्कि समय-समय पर वाकीफ मुतवल्ली द्वारा 1948 में संशोधित विलेख है। चूंकि, न्यासी मंडल को पांच मुतवल्ली माना गया था, जिसमें वाकीफ मुतवल्ली या

इसलिए, प्रमुख मुतवल्ली, पोतों को शामिल करना जन्म तिथि के क्रम में नहीं था, बल्कि वाकीफ मुतवल्ली के दोनों पुत्रों के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए था। इसलिए, 1948 के संशोधित विलेख में ज्येष्ठाधिकार के शासन के मूलधन की प्रयोज्यता नहीं है, बल्कि वाकीफ मुतवल्ली के दोनों पुत्रों के उत्तराधिकारियों के लिए समान प्रतिनिधित्व है।

52. भारत के राज्य सचिव (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय परिषद बनाम सैयद अहमद बादशा साहिब बहादुर में भारत के राज्य सचिव के रूप में रिपोर्ट की गई पूर्ण पीठ के फैसले के परिणामस्वरूप है। पूर्ण पीठ थी पूर्ववर्ती वाद में अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की प्रयोज्यता की जांच करना। पूर्ण पीठ ने यह निर्णय दिया कि

पिछला मुकदमा निर्णायक नहीं है, बल्कि केवल साक्ष्य है और यह वादी के लिए खुला है कि वह सरकार के खिलाफ अपना अधिकार स्थापित करे। पूर्ण पीठ की राय के परिणामस्वरूप, अपील को 09.05.1921 पर सुनवाई के लिए लिया गया था। यह पूर्ण पीठ की राय के परिणामस्वरूप था; अपील को 09.05.1921 पर सुनवाई के लिए लिया गया था।

53. डिवीजन बेंच ने अभिनिर्धारित किया कि वादी ने साबित कर दिया है कि वह है

वंशानुगत अधिकार द्वारा वैध उत्तराधिकारी क्योंकि पद का आनंद आम तौर पर कई उत्तराधिकारियों द्वारा नहीं लिया जा सकता है, इसलिए उत्तराधिकार वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार द्वारा होना चाहिए। उक्त आदेश प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह एक भी उत्तराधिकारी नहीं है जो पद का धारक है। में।

वास्तव में, वाकीफ मुतावल्ली ने पाँच मुतावल्लियों का एक बोर्ड गठित किया है। इसलिए, यह मुतावल्लियों का एक निकाय है जिसे हमदर्द के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है और उनमें से सबसे वरिष्ठ पुरुष वंशज को प्रमुख मुतावल्ली माना जाता है।

54. यह तर्क कि इसमें देरी और अड़चनें हैं

प्रबंधन के मौजूदा तंत्र पर विवाद करने के लिए अपीलकर्ता फिर से मान्य नहीं है। पूरा तर्क 04.07.1995 पर बोर्ड के गठन पर आधारित है। बोर्ड के गठन पर विवाद करने में विफलता का मतलब यह नहीं होगा कि 1948 के विलेख या 1973 के विलेख को अनुचित माना जाता है। वाकीफ मुतवल्ली द्वारा बोर्ड का गठन बोर्ड के कार्यों को पूरा करने के लिए हमरद की आवश्यकताओं के संबंध में है, लेकिन यह बाद में विचार किए गए उत्तराधिकार के नियम को फिर से नहीं लिखता है।

वर्ष 1973 में 1948 विलेख में संशोधन।

55. यह तर्क कि अपीलार्थी आपराधिक मामलों में शामिल है

यह फिर से इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं है। 1973 नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की अयोग्यता के लिए विलेख का प्रावधान किया गया। अपीलार्थी के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन में से कोई भी समाप्त नहीं हुआ है

ऊपर की ओर

इसलिए, इस स्तर पर अपीलार्थी के लिए कोई अयोग्यता नहीं है।

56. अनिवार्य निषेधाज्ञा का अनुदान भी निषिद्ध नहीं है

समीर नारायण भोजवानी मामला (ऊपर)। इसने अभिनिर्धारित किया है कि जब तक स्पष्ट और प्रथम दृष्टया सामग्री इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती है कि किसी एक पक्ष द्वारा यथास्थिति में परिवर्तन किया गया है, तब तक अनिवार्य निषेधाज्ञा में आदेश दिया जा सकता है।

57. विज्ञापन अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा, पर नहीं दी जानी है

माँगना लेकिन मजबूत परिस्थितियों में ताकि अधिकारों की रक्षा हो और पक्षकारों का हित ताकि अनिवार्य हम्माद अहमद v के संबंध में उनके अधिकारों को विफल न किया जा सके।

अब्दुल मजीद और हमारा। [हेमंत गुप्ता, जे।]

निषेधाज्ञा। देवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 18.18 वाले मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय इस तरह की अंतरिम राहत केवल तभी देगा जब उसका यह समाधान हो कि इसे रोके रखने से न्यायालय की अंतरात्मा को ठेस पहुंचेगी और न्याय की भावना के अनुसार हिंसा होगी, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई के दौरान अन्याय कायम रहेगा और अंत में न्यायालय न्याय के उद्देश्य को सही साबित करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, उपयुक्त मामले में,

विज्ञापन-अनिवार्य रूप में अंतरिम निषेधाज्ञा दी जा सकती है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. ऐसी स्थितियाँ सामने आती हैं जहाँ अंतरिम राहत देना अंतिम राहत देने के समान होगा। और फिर इसके विपरीत मामले हो सकते हैं जहां अंतरिम राहत को रोक दिया जाता है।

यह मुख्य याचिका को ही खारिज करने के समान होगा; क्योंकि, जब तक मुख्य मामला सुनवाई के लिए आता है, तब तक याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा, हालांकि सभी निष्कर्ष उसके पक्ष में हो सकते हैं। ऐसे मामलों में केवल प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में बहुत अधिक मानक के एक बहुत मजबूत प्रथम दृष्टया मामले की उपलब्धता, सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के विचार मामले के संतुलन को पूरी तरह से आवेदक के पक्ष में झुकाने से अदालत को अंतरिम राहत देने के लिए राजी किया जा सकता है, हालांकि यह अंतिम राहत देने के बराबर है। बेशक, ऐसे मामले दुर्लभ और असाधारण होंगे। अदालत इस तरह की अंतरिम राहत केवल तभी देगी जब यह संतुष्ट हो कि इसे रोके रखने से अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंचेगी और न्याय की भावना के साथ हिंसा होगी, जिसके परिणामस्वरूप अन्याय कायम रहेगा।

शिकायत तत्काल और दबाव डालने वाली होती है और अत्यधिक कठिनाई का कारण बनती है। पक्षकारों के आचरण को भी देखना होगा और न्यायालय पक्षकारों को ऐसी शर्तों पर रख सकता है जो हो सके होशियार "।

58. यह तर्क कि संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत, न्यायालय के पास मुकदमा दायर करने की तारीख या आदेश पारित होने की तारीख को पक्षों की स्थिति बनाए रखने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन पक्षकारों को कुछ ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकता है जो मुकदमा दायर करने के समय अस्तित्व में नहीं था, सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक सामान्य नियम नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए आदेशों की प्रकृति सामान्य रूप से पारित नहीं की जाती है। 18 (2004) 4 एससीसी 697 [2019] 6 एस. सी. आर.

एक नियमित तरीके से क्योंकि वादी के पास एक मामला होना आवश्यक है जो

केवल प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में उच्च मानक का होना चाहिए। लेकिन पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा मुकदमे के पहले दौर में दर्ज किया गया था, प्राथमिक प्रश्न यह था कि मुख्य मुतवल्ली के रूप में किसे कार्य करना है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने केवल इस तरह के प्रश्न की जांच की है। यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी पक्षों ने मुख्य रूप से इस सवाल पर बहस की है कि प्रमुख मुतवल्ली कौन होगा। इसलिए, एक प्रथम दृष्टया राय मामलों के प्रबंधन के संबंध में परिणामी आदेश की ओर ले जाएगी

हमराद।

60. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुकदमों के निर्णय पक्षों द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले साक्ष्य के आधार पर होंगे क्योंकि वर्तमान आदेश में है केवल विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने का संदर्भ।

61. विवादों की प्रकृति और पेश किए जाने वाले साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम आगे आदेश देते हैं कि प्रत्येक पक्ष को अधिकतम तीन महीने की अवधि प्रदान करके मुकदमे पर तेजी से निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

पक्षकारों के दो समूह अपने-अपने साक्ष्य का निष्कर्ष निकालते हैं ताकि पक्षों के बीच विवादों के पहले चरण को अंत में समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक निर्णय लिया जा सके।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

* एड। नोट-शब्द 'प्रबंधन' को 'बैंकिंग संचालन' शब्द के साथ बाद के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जैसा कि [2019] 6 एससीआर 437 में बताया गया है।